नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक............146553

प्रारुप — 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 2713 दिनांक 26/11/2018

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
1075	ए०एल०–2016	1993-1994

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि .... सुजाखर ग्रामोद्योग विकास संस्थान ग्राम– सुजाखर, पोस्ट– बेनीमाधव नगर, जनपद– प्रतापगढ़ .... को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ...367/1993–94 दिनांक ....15-09-1993 को दिनांक ....15-09-2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

........1150........................ रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक............15-11-2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सोसा० फार्म एवं विटस–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(का०/टी०/आफसेट)।

: : संशोधित स्मृति पत्र : :

1. संस्था का नाम : सुजाखर ग्रामोद्योग विकास संस्थान
2. संस्था का पता : ग्रा0 सुजाखर पो0 बेनीमाधव नगर, जनपद प्रतापगढ़
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार
4. संस्था के उद्देश्य :

1. समाज के सामजस्य, सौहार्द, प्रेम बनाये रखने का प्रयत्न करना।
2. समाज के कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, विकलांग, महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता, बाल, वृद्ध के कल्याण के लिए कार्यक्रम संचालित करना।
3. बेरोजगार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों, फुटपाथी दूकानदारों, गृह विहिनों, भूमिहीनों तथा माता-पिता परिजनों से बिछुड़े बच्चों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करना।
4. मानव की मूलभूत आवश्यकताओं (यथा भोजन, वस्त्र, आवास, स्वच्छ जल, स्वास्थ और शिक्षा) के लिये प्रयास करना।
5. जाति, लिंग, संप्रदाय, राजनीति से भिन्न समरसतापूर्ण समाज का निर्माण करना।
6. आधुनिक प्रौद्योगिकी विज्ञान के मार्फत विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूढ़ना तथा इसके अध्ययन-अध्यापन एवं शोध के लिए उच्चस्तरीय शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान खोलना ।
7. पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने से सम्बन्धित कार्यो का निष्पादन तथा इससे संबन्धित जन जागरण एवं जन सहभागिता को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जल संरक्षण, वन संरक्षण, एवं भूमि संरक्षण संबंधी कार्यो का निष्पादन यथा सिंचियों, कूपों, तालाबों, वृक्षारोपण आदि कार्य करना।
8. शिक्षा के विकास हेतु प्राईमरी विद्यालय से हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक विद्यालय, खोलना और कृषि, इलेक्ट्रानिक, व्यवसायिक, औद्योगिक, तकनीकी शिक्षा हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलना व संचालन करना।
9. महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निराश्रित महिला कल्याण केन्द्रो, नारी निकेतनों, शिल्प कला केन्द्रो, सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हेयर एण्ड स्किन केयर, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, कम्प्यूटर व टंकण प्रशिक्षण नृत्य एवं गायन आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलना तथा संचालित करना।
10. ग्रामीण एवं शहरी गरीब, निम्न आय वर्ग लड़को एवं लड़कियों तथा महिलाओं व पुरूषों को ग्रामोद्योगो व औद्योगिक संस्थानों (इन्डस्ट्रीज) के माध्यम से व शिक्षण/प्रशिक्षण केन्द्र व उद्योगों की स्थापना कर रोजगार के अवसर प्रदान कर स्वावलम्बी बनाना।
11. संस्थान द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के ग्रामीणों को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चलाना, केन्द्र खोलना व उनके जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के अवसरों को सृजन करना व प्रशिक्षण देना।
12. संस्थान द्वारा ग्रामीण किसानों को वैज्ञानिक विधि द्वारा कृषि करने के लिए जागरूक करना व उनके आय को बढ़ाने के सार्थक प्रयास कर जीवन स्तर में सुधार करना व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना तथा सब्जी/फलोत्पादक निःशुल्क प्रशिक्षण, कार्य करना तथा प्रशिक्षण देना।
13. ग्राम समाज ,निगमों ,स्वायत्तशासी, संस्थाओं-बैंकों, सहकारी समितियों, सरकारी विभागों, उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग तथा

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० इलाहाबाद

अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन से भूमि भवन, दान ,चंदा, ऋण व अनुदान प्राप्त करना और उसे संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

14. महिला–पुरुष समानता, महिला सशक्तीकरण, महिला शोषण उन्मूलन, दहेज निवारण तथा आत्म निर्भर बनाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, बाल व्यायामशाला, बाल कौशल कार्यशाला, बाल स्वास्थ्य पोषण, सतीप्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करना, शिविर, कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन करना।

15. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों हेतु चेरिटेबिल निःशुल्क अस्पताल व शिविर का आयोजन कर टीकाकरण, स्वास्थ्य, जाँच तथा उपचार करने का प्रयास करना।

16. भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, पेट्रोलियम बचत, सड़क, पंचायती राज, रेलवे बोर्ड/रेल मंत्रालय, सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कापार्ट, सुडा, डूडा, यूनीसेफ, सेफ इण्डिया, आक्सफाम्ड ट्रस्ट आदि केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। राज्य/केन्द्र सरकार तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सेतु का कार्य करना इसके लिए केन्द्र/राज्य से दान–अनुदान तथा ऋण प्राप्त करना।

17. आधुनिक शिक्षा सम्बन्धित रोजगार कार्यक्रम आज के आधुनिकतम विषय कम्प्यूटर और साफ्टवेयर टेक्नोलाजी, डिजाइन, पत्रकारिता, खेल कूद, व्यक्तित्व विकास, शिल्पकारिता, कम्यूनिकेशन आदि विषयों के शिक्षण व प्रशिक्षण एवं शोध कार्य करने हेतु विद्यालय की स्थापना व संचालन।

18. डेकेयर तथा मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना , समाज के निराश्रित वृद्धों, महिलाओं एवं बच्चों विशेषयता निर्बल एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित लोगों के लिए 'डे केयर सेण्टर', कल्याण केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भूले भटके शिविरों का आयोजन, संचालन व प्रचार प्रसार करना।

19. लोगों को अल्प बचत कार्य के प्रति प्रेरित करना तथा स्व–रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना। सेल्फ–हेल्प ग्रुप (स्व–सहायता समूह) गठित करके अल्प बचत योजना को बढ़ावा देना तथा सामूहिक/व्यक्तिगत ग्रामोद्योग तथा इनकम जनरेटिंग कार्यक्रम के लिए प्रेरित करना। इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष, नाबार्ड तथा सिडवी इत्यादि से ऋण/अनुदान प्राप्त करना।

20. एकीकृत ग्राम्य विकास, ग्राम्य तकनीकी विकास, त्वरित ग्राम्य पेयजल आपूर्ति, ग्राम्य स्वच्छता विकास कार्यक्रम, ग्रामीण औद्योगीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा जैसी योजनाएं, ऊसर भूमि का विकास, अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के कल्याण कार्यक्रमों, बंधुआ मजदूरों का अवमुक्तीकरण एवं पुनर्वास, बाल श्रमिकों के प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा एवं भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।

उद्देश्य वे सभी सोसाइटीज एक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत मान्य हों।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० इलाहाबाद

सुजाखर ग्रामोद्योग विकास संस्थान

ग्राम-सुजाखर, पोस्ट-बेनीमाधवनगर, जनपद-प्रतापगढ़।

संशोधित सूची प्रबन्ध समिति वर्ष 2013–14

क्र.	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री संतोष कुमार सिंह	ग्राम-सुजाखर, पोस्ट-बेनीमाधव नगर, प्रतापगढ़।	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री यमुना शंकर यादव	ग्राम-कल्याणपुर कलां, पोस्ट-बेनीमाधव नगर, प्रतापगढ़।	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्री अशोक कुमार सिंह	ग्राम-सुजाखर, पोस्ट-बेनीमाधव नगर, प्रतापगढ़।	मंत्री/सचिव	व्यापार
4.	श्री श्याम लाल मौर्य	ग्राम-सुजाखर, पोस्ट-बेनीमाधव नगर, प्रतापगढ़।	सदस्य	समाजसेवा
5.	श्रीमती माधुरी देवी (रजक)	ग्राम-कल्याणपुर कलां, प्रतापगढ़।	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्री अकबर अली	ग्राम-कल्याणपुर कलां, प्रतापगढ़।	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री फूलचन्द्र कोरी	ग्राम-सुजाखर, पोस्ट बेनीमाधव नगर, प्रतापगढ़।	सदस्य	समाजसेवा

संतोष कुमार

Yamuna Shanker

श्यामलाल मौर्य

Secretary
Sujakhar Gramodyog Vikas Sansthan
Pratapgarh (U.P.)

Ashok
7/10/13

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से किया जायेगा।

12. संस्था का कोष :

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में खाता खोलकर जमा होगा जिसका संचालन मंत्री/सचिव एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था लेखा परीक्षण :

संस्था के समस्त आय–व्यय को लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :

संस्था की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के मंत्री/सचिव/अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

15. संस्था के अभिलेख :

1. सदस्यता रजिस्टर, 2. कार्यवाही रजिस्टर,
3. एजेण्डा रजिस्टर, 4. कैशबुक व लेजर

16. विघटन :

संस्था के विघटन और विघटित विवादित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा, 13 एवं 14 के अन्तर्गत ही की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनाँक सत्य प्रतिलिपि हस्ताक्षर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० इलाहाबाद

जयराज सिंह

Manta Singh